पत्रांक—5 न0वि०/विविध—127/2019— ५२/२८ / न0वि०आ०वि० बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक.

चैतन्य प्रसाद, सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम। नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत।

पटना, दिनांक:-27/9//9
विषय:- राज्य में हो रही लगातार वर्षा एवं अतिवृष्टि के कारण नगर निकाय क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याओं के निराकरण एवं नागरिक सुविधााओं को बहाल रखने हेतु निदेश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में हो रही लगातार वर्षा एवं अतिवृष्टि के कारण नगर निकाय क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याओं के निराकरण एवं नागरिक सुविधााओं को बहाल रखने हेतु निम्नवत् निदेश निर्गत किये जाते हैं :--

- (i) जल जमाव की रोकथाम एवं निकासी हेतु सर्तकता एवं तत्परता बरती जाय। जल—जमाव का मुख्य कारण नालों का बहाव पूर्ण रूप से नहीं होना तथा इसका तल एकसमान नहीं होना हो सकता है। जल—जमाव को रोकने हेतु नालों का बहाव सुनिश्चित कराया जाय। बड़े नालों का भी नियमित रूप से साफ—सफाई कराया जाय ताकि पानी का बहाव अवरूद्ध नहीं हो। जल—जमाव की रोकथाम हेतु इसका नियमित अनुश्रवण किया जाय। यदि आवश्यकता हो तो पम्पसेट का भी इस्तेमाल किया जाय।
- (ii) अधिक वर्षा के फलस्वरूप शुद्ध पेय जल की भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए नगरवासियों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।
- (iii) जलजमाव की निकासी के उपरांत संक्रामक रोगों एवं मच्छरों का प्रकोप का खतरा भी बना रहता है। इसके लिए नियमित अंतराल पर बलिचिंग पावडर का छिड़काव एवं टेक्निकल मालाथिआन का फौगिंग भी सुनिश्चित किया जाय तथा इसका लगातार अनुश्रवण किया जाय। फॉगिंग/दवा छिड़काव के लिए नगर निकाय के नक्शे का अवलोकन करते हुए फॉगिंग/दवा छिड़काव के लिए क्षेत्र एवं रूट निर्धारित कर फॉगिंग/दवा छिड़काव के लिए क्षेत्र एवं रूट वार समय सारणी तैयार कर उसके अनुसार ही नियमित रूप से फॉगिंग/दवा छिड़काव किया जाय।
- (iv) फॉिंग सूर्योदय के उपरांत तथा सूर्यास्त से पहले ही किये जाने पर प्रभावी होता है, अतएव सुबह 6—9 बजे के बीच अथवा शाम 3—5 बजे के बीच ही फॉिंग कराया जाय।
- (v) डेंगू एवं चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर के लार्वा जल—जमावों वाले स्थानों एवं नालों में पाये जाते हैं, अतएव उसे नष्ट करने हेतु Larvicidal का छिड़काव जल—जमावों वाले स्थानों एवं नालों आदि में नियमित रूप से कराना सुनिश्चित किया जाय।
- (vi) नगर निकाय क्षेत्र में आधारभूत संरचना निर्माण के क्रम में यदि गढ़े खोदे गये हैं, तो उन गढ़ों में जलजमाव के कारण दुर्घटना होने की संभावना है। इसको रोकने हेतु गढ़े को लाल कपड़ा से चिन्हित कर उसका बैरिकेंटिंग कराया जाय।
- (vii) सड़कों पर मेन होल को किसी हाल में खुला नहीं छोड़ा जाय, इसके लिए हमेशा अनुश्रवण किया जाय।
- (vii) नगर निकायों के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी इस स्थिति में अलर्ट मोड में रहे। आवश्यकंता होने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

उक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।